न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर

नियमित फौजदारी सी.आई.सं. प्र.सं.– 110/2013 सरकार/मुरारी वगै0

10.03.2026

अभियुक्त छोटेलाल की ओर से अधिवक्ता श्री ओमवीर सिंह एड0 द्वारा वकालतनामा व जमानत प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली कार्यालय से तलब की गई। प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस जमानत सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त की ओर से 1,50,000 रुपए की दो सुदृढ़ जमानतें व 3 लाख रूपये की राशि का स्वयं का मुचलका पेश कर तस्दीक करा दिया जावे तो अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से जमानत मुचलके पेश किये गये जमानतें बाद जांच नियमानुसार तस्दीक की गईं। कागजात शामिल पत्रावली हों। मुलजिम छोटेलाल का रिहाई आदेश नियमानुसार जारी कर जेल धौलपुर को भिजवाया जावे।

पत्रावली पूर्व नियत दिनांक 11.03.2026 को पेश हो।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

11/3/26

प्र0 उप0 मुल्0 छोटेलाल, शिवराज, सुरेश, रामवीर, परमेलसिंह अधि0 श्री [illegible] अधि0 [illegible] उनकी हाजिरी माफी [illegible] स्वीकार की गई। मुल्0 छोटेलाल आज हाजिर [illegible] के विरुद्ध बाद सुनवाई धारा 420, 467, 468, 471, 120B भा0द0सं0 के आरोप [illegible] विरचित कर सुनाये व समझाये गये। [illegible] आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] मुल्0 दिनांक 19/3/26 को पेश हो।

अभि. छोटेलाल

नि. शिवराज

सुरेशचंद

रामवीर

परमेलसिंह

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)